UPMI0100034332026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, मीरजापुर

पीठासीन अधिकारी : सन्तोष कुमार गौतम (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1233 सन् 2026

हजारी प्रसाद सोनकर उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र भगवानदास सोनकर, निवासी ददरा पहाड़ी, थाना राजगढ़, जनपद मीरजापुर। .....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन,

मु0अ0सं0– 193 सन् 2025

धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना–राजगढ़, जनपद–मीरजापुर।

दिनांकः 09.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त हजारी प्रसाद सोनकर की ओर से धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना– राजगढ़, जनपद–मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनिल सिंह के द्वारा दिनांक 16.11.2025 को फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–राजगढ़ में इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि ''दिनांक 16.11.2025 को मैं उ0नि0 अनिल सिंह मय हमराह हे0कां0 चन्द्रजीत यादव व मय सरकारी वाहन सेकण्ड मोबाइल चालक हे0कां0 भानु प्रताप यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जुर्म जरायम रात्रिगस्त करता हुआ धनसिसिया मोड़ के पास मौजूद था, उसी समय मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि एक बोलेरो पिकप वान संख्या बीआर26ई9984 सेमरा बरहो मोड़ के पास धनसिरिया रेलवे अण्डर ओवर ब्रिज के आगे खड़ी है, जिसमें गोवंश लदे हुए हैं, जिन्हें वध हेतु बिहार लेकर जाने वाले हैं, यदि जल्दी किया जाए तो बोलेरो पिकप पर लदे गोवंश को पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचा गया तो एक गाड़ी पिकप बोलेरो खड़ी दिखायी दी। मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि यह वही वाहन है। उक्त वाहन के नजदीक जाकर देखा तो बोलेरो पिकप वाहन संख्या बी0आर0 26 ई0 9984 उपरोक्त पर 09 राशि गोवंश लदे हुए हैं, जिन्हें क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर पिकप में लादा गया है तथा मौके पर वाहन चालक मौजूद नहीं था। गोवंशो को हमरही कर्मचारीगण के सहयोग से नीचे उतारकर सभी गोवंशों की बंधी रस्सी को खोला गया। सभी गोवंशों कोकब्जा पुलिस में लेकर गौशाला धनसिरिया में ले जाकर दाखिल कर उनके चारा पानी की व्यवस्था की गयी। बरामदशुदा वाहन के नम्बर को ऐप पर देखा गया तो उक्त वाहन मेराज कुरैशी पुत्र अकबर कुरैशी निवासी ग्राम व पोस्ट चैनपुर थाना चैनपुर, जनपद कैमूर भभुआ, बिहार के नाम से पंजीकृत है। फर्द मौके पर वादी द्वारा अपने मोबाईल में बोल–बोल कर

हे0कां0 चन्द्रजीत यादव को देकर फर्द की दो प्रति थाने के प्रिन्टर से निकलवाकर मंगवायी गयी। फर्द को पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित से अलामात बनावाए गये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी निर्दोष है। थाना राजगढ़ की पुलिस द्वारा बिल्कुल फर्जी, गलत व मनगढ़न्त तथ्यों का आधार लेकर उसे अभियुक्त बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, न ही प्रार्थी द्वारा कोई घटना कारित किया गया है, न ही घटनास्थल पर प्रार्थी मौजूद ही था और न ही प्रार्थी के पास से कोई गाय, बैल या हथियार ही बरामद किया गया है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध होना बताया गया है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर पशु तस्करी करता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होना बताते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से गौवंशियों की तस्करी/परिवहन का अभियोग लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्तर्निहित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 16.11.2025 को गोवंशियों से लदे बरामदशुदा बेलेरो पिकप की फर्द बरामदगी के आधार पर पंजीकृत किया गया है। स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के साथ संलग्न प्रकरण दैनिकी के पर्चा संख्या–5 में उल्लिखित विवेचना के विवरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 16.12.2025 को दो व्यक्तियों को गोवंश हांकते हुए देखे जाने पर पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें रोके जाने के प्रयास पर उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर आग्नेयास्त्र से गोली चलाये जाने पर अपने बचाव में पुलिसकर्मियों द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर करने पर उक्त व्यक्तियों में से एक के पैर में गोली गली एवं दूसरा मौके से अभिकथित रूप से फरार हो गया। गोली लगे व्यक्ति ने अपना नाम शप्पू नट बताया एवं मौके से फरार दूसरे व्यक्ति का नाम हजारी प्रसाद बताया। मौके पर घायल मामले के सह अभियुक्त के संस्वीकृत बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम हस्तगत मामले में प्रकाश में आया है। विवेचना के उक्त विवरण में यह भी अभिकथित है कि मौके से भागते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायर किया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता को दर्शाता है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह तर्क किया गया कि मामले के सह अभियुक्त के संस्वीकृत बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को हस्तगत मामले में आलिप्त किया जाना, उसे जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार प्रदान करता है, परन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले की विवेचना प्रचलित है तथा विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय को इस आशय का कोई समाधान उपलब्ध नहीं है, जो आवेदक/अभियुक्त के मामले में संलिप्त न होने तथा भविष्य में जमानत पर रिहा किये जाने के उपरान्त

उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किये जाने की सम्भावना को अपवर्जित करे। धारा 7क उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम का उद्धरण भी यहॉ समीचीन होगा, जो यह उपबन्धित करता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बन्ध पत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि–

(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है, और

(ख)–जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदक का विरोध करता है, न्यायालय को यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।

7. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानीय थाने द्वारा प्रेषित प्रस्तरवार आख्या के साथ संलग्न सूची के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व मु0 अ0 सं0–202/2021 धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–मड़िहान, मु0 अ0 सं0–61/2023 धारा–3 (1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–मड़िहान, मु0 अ0 सं0–71/2023, धारा–60 आबकारी अधिनियम, थाना–राजगढ़, मु0 अ0 सं0–164/2024 धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–राजगढ़, मु0 अ0 सं0–165/2024 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–राजगढ़, मु0 अ0 सं0–215/2025 धारा–109 बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–राजगढ़, मु0 अ0 सं0–163/2025, धारा–109 बीएनएस व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना–रायपुर, सोनभद्र पंजीकृत है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त हजारी प्रसाद सोनकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

फौजदारी लिपिक इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिला कारागार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में संप्रेक्षण, यदि कोई हो तो, मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे संप्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किये गये हैं।

दिनांकः–09.07.2026

(संतोष कुमार गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1
मीरजापुर।
J O.Code – UP2396